



संख्या: 998/आर-एपीडीआरपी पार्ट-ए/आईटी०/

दिनांक 3 /08/2021

निदेशक (वाणिज्य),
मध्यांचल-लखनऊ / पूर्वांचल-वाराणसी /
दक्षिणांचल-आगरा / पश्चिमांचल-मेरठ।

विषय:—Stop Billed उपभोक्ताओं को लाईव अथवा PD finalize करने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत हो कि जून, 2021 के Master Data के आधार पर Stop Billed उपभोक्ताओं की संख्या निम्नवत् है—

S.No.	DISCOM	RAPDRP SB Count	RAPDRP SB Amount	NON RAPDRP SB Count	NON RAPDRP SB Amount
1.	DVVNL	96,076	13343734488	5,16,950	50059636184
2.	MVVNL	2,12,842	41916951029	9,09,702	44866196767
3.	PuVVNL	2,09,337	46730421858	12,40,058	106415172271
4.	PVVNL	1,11,312	7839028469	3,31,640	2480161949
Grand Total		6,29,567	109830135844	29,98,050	226142624723

तालिका में उद्धित ऐसे उपभोक्ताओं जो कि साईट पर चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे हैं को दिनांक 31.08.21 तक लाईव अथवा PD finalize किया जाना लक्षित है। इसके लिए डिस्कॉम स्तर से सभी फील्ड अधिकारियों को जागरूक करने, निर्देशित करने एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से पत्राचार, कॉल एवं VC की व्यवस्था कराना अपेक्षित है।

PD प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता का वर्तमान माह का Bill Generate होने के कारण current assessment की धनराशि में अवास्तविक एवं अवांछित धनराशि का अंकन हो जाता है। अतः बिलिंग बंद किए गए Stop Billed उपभोक्ताओं की PD, वर्तमान माह का Bill Generate किए बिना करने की आवश्यकता है। उक्त के अनुपालन के दृष्टिगत आर-एपीडीआरपी/नॉन आर-एपीडीआरपी दोनों प्रणालियों में ऐसे उपभोक्ता जिनकी बैंक डेट से पी०डी० (टी०डी० डेट निर्धारण) किया जाना आवश्यक है के प्रकरणों में Bill Revise करने की व्यवस्था पर केन्द्रीय स्तर से रोक लगाई जा रही है। बिना Bill Revision के Stop Billed उपभोक्ताओं के PD bill finalization के निम्नवत् प्राविधान पूर्व से ही बिलिंग प्रणाली में प्रचलित है।

Stop Billed उपभोक्ताओं के PD bill finalization के प्राविधान (NON-RAPDRP)

1. DND module में Dismantling tab में permanent dismantling entry करें।
2. उसके पश्चात उपभोक्ता का एस्टीमेट बनेगा जिसमें की डैमेज मेटरिअल का विवरण दें और स्वीकृत भी करें।
3. तदोपरान्त कंस्यूमर का "Final Bill" निर्गत करें और बिल स्वीकृत करें तद् पश्चात उपभोक्ता से "Final Bill" की राशि प्राप्त करें।
4. उपभोक्ता पर प्रदर्शित Security Amount स्वतः Final Bill में समायोजित हो जाता है। इसको किसी अन्य माध्यम से समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
5. "Final Bill" निर्गत होने के बाद पी०डी० बिल भुगतान की व्यवस्था प्रणाली पर उपलब्ध है।

6. तदपश्चात् "Master Deletion" स्क्रीन में "Master Deletion date" और रिमार्क भरकर उसका "Master Deletion" करें।
7. उपभोक्ता का भुगतान प्राप्त कर लें एवं इसके बाद मास्टर डिलीशन कर लें।
8. यदि उपभोक्ता से भुगतान तत्काल प्राप्त होने की स्थिति न हो अथवा बकाया विवादित हो तो बकाये को इन ऑपरेटिव में डालते हुए पी0डी0 फाईनल कर लें।

Backdated उपभोक्ताओं के PD bill finalization के प्राविधान (NON-RAPDRP)

1. Dismantle tab में back date dismantle एंट्री स्क्रीन में जाकर back date dismantle डेट सेलेक्ट करके back date Dismantle कर लें।
2. Back date dismantle करने के पश्चात् Back Date Master Deletion स्क्रीन में जाकर master Deletion date सेलेक्ट करके Back Date Master Deletion कर लें।
3. उपभोक्ता का भुगतान प्राप्त कर लें एवं इसके बाद मास्टर डिलीशन कर लें।
4. यदि उपभोक्ता से भुगतान तत्काल प्राप्त होने की स्थिति न हो अथवा बकाया विवादित हो तो बकाये को इनऑपरेटिव में डालते हुए पी0डी0 फाईनल कर लें।

Stop Billed उपभोक्ताओं के PD bill finalization के प्राविधान (RAPDRP)

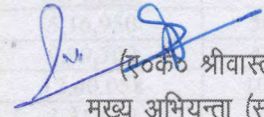
1. बिल का विवरण निम्नवत चेक कर लें:-
 - I. उपभोक्ता का अंतिम बिल कब निर्गत हुआ है?
 - II. उपभोक्ता ने अंतिम बिल का भुगतान कब किया है?
 - III. उपभोक्ता पर क्या सिक्योरटी amount (Pay off balance) है?
 - IV. उपभोक्ता का फाइनल बिल कब तक का बनाना है?
 - V. उतारे गए मीटर की रीडिंग एवं अन्य विवरण।
 - VI. उपभोक्ता के "कनेक्शन स्टेटस" एवं "Bill After Date" इत्यादि।
2. उपभोक्ता पर प्रदर्शित "Bill After Date" (यदि हो तो) को हटा लें।
3. जिस तिथि तक का बिल बनाना है वो "Cut off date" एवं "Accounting Date" का उपयोग करते हुए बना लें।
4. उपरोक्त कार्य सम्पूर्ण कर लेने के पश्चात् "Utility forced PD" के माध्यम से उपभोक्ता का PD final करें।
5. ध्यान रहे मीटर को Remove or stock में लेने की तिथि पूर्व में निर्गत बिल के एक दिन बाद की होना चाहिए।
6. उपभोक्ता पर प्रदर्शित Security Amount स्वतः Final Bill में समायोजित हो जाता है। इसको किसी अन्य माध्यम से समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
7. Final Bill Generate होने के पश्चात् दो आप्शन प्रदर्शित होंगे :-
 - I. PD case complete
 - II. Create in-operative SA (Service Agreement)
8. Final Bill Generate होने के पश्चात् PD Case को Complete कर दें।

9. Final Bill amount को उपभोक्ता से प्राप्त करें, यदि उपभोक्ता से भुगतान सम्भव नहीं है तो उस रकम को "In-operative service agreement create" कर उसे वहाँ transfer कर नियमानुसार "Waive off" सुनिश्चित करें।

Note:- ध्यान रहे उपरोक्त को करते समय सभी विवरण सही तरीके से भरे जिससे कि PD कार्य यथा शीघ्र किया जा सकें।

आप सभी से अनुरोध है कि उक्त सभी उपभोक्ताओं की PD उपरोक्तानुसार करते समय उक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराये जिससे वितरण कम्पनियों का current assessment का डेटा अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित न हो।

साइट पर चलते पाये जाने वाले Stop Billed उपभोक्ताओं को लाईव अथवा PD करने की प्रक्रिया यथावत रहेगी।


(संकेत श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (स्तर-I)

प्रति:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल-लखनऊ / पूर्वांचल-वाराणसी / दक्षिणांचल-आगरा / पश्चिमांचल-मेरठ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), मध्यांचल-लखनऊ / पूर्वांचल-वाराणसी / दक्षिणांचल-आगरा / पश्चिमांचल-मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर-II, आर-एपीडीआरपी पार्ट-ए, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, आर-एपीडीआरपी / नॉन-आरएपीडीआरपी मध्यांचल-लखनऊ / पूर्वांचल-वाराणसी / दक्षिणांचल-आगरा / पश्चिमांचल-मेरठ।